पत्रांक—02 / यो0—5007 / 2026—

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

शंकर दयाल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

महालेखाकार,
(ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना—01, दिनांक—

विषयः— **"निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता"** योजना के तहत जिलों में दिव्यांग बेरोजगारों के लिए कैम्प का आयोजन एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने एवं विशेष नियोजन मेला का आयोजन निमित्त योजना का वर्ष 2026—27 में ₹49,96,000 (रूपये उनचास लाख छियानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः— **स्वीकृत।**

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2026—27 में ₹49,96,000 (रूपये उनचास लाख छियानवे हजार) मात्र के व्यय पर वित्त विभाग के बिहार विनियोग अधिनियम 2026 पत्रांक संख्या—ब.15 / बी०एस०जी०—04 / 2026—191 / वि० दिनांक—16.02.2026 द्वारा प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत **"निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता"** स्कीम के तहत जिलों में दिव्यांग बेरोजगारों के लिए नियोजन सहायता कैम्प / सेमिनार / कार्यशाला इत्यादि का आयोजन एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने निमित्त योजना स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत दिव्यांग जन कल्याण हेतु संचालित सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, दिव्यांग जन के स्वरोजगार हेतु संचालित सरकारी योजनाओं तथा दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरी में मिलने वाले विशेष लाभ इत्यादि की जानकारी / विशेषज्ञ मार्गदर्शन हेतु नियोजन सहायता कैम्प / सेमिनार / कार्यशाला / विशेषज्ञ मार्गदर्शन कैम्प इत्यादि के आयोजन एवं प्रचार—प्रसार पर राशि का व्यय किया जाएगा। उक्त आयोजन में जिला / प्रमण्डल के निःशक्त जनों के कल्याण के लिए कार्यरत अन्य विभाग के पदाधिकारी एवं विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

3. इस योजना के अंतर्गत व्यय मुख्य शीर्ष—"2230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष—02—रोजगार सेवाएँ, समूह शीर्ष—राज्य योजना, लघु शीर्ष—101—रोजगार सेवाएँ मांग सं0—53, उप शीर्ष—0121 "निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता" विपत्र कोड संख्या—53-2230.02.101.0121 के अंतर्गत व्यय हेतु विषय शीर्ष—"0121.20.02—कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार मद में उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए विकलनीय होगा।

4. यह चालू योजना है। गत वित्तीय वर्ष 2025—26 में इसकी स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0—519 दिनांक—22.05.2025 द्वारा दी गई है।

5. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन) / जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी होंगे।

6. इस योजना हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

कृ0पृ0उ0

7. प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–02/यो0–5007/2026 के पृ0–07/टि0 पर प्राप्त है।

8. प्रस्ताव में सचिव की सहमति संचिका सं0–02/यो0–5007/2026 पृ0–07/टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(शंकर दयाल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्याः–02/यो0–5007/2026– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,/सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक, विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्याः–02/यो0–5007/2026– 622 पटना–01, दिनांक– 07.07.26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

S. Dayal
07/07/26
सरकार के उप सचिव।